अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का अध्ययन

डॉ. मीना सेंगर
असिस्टेंट प्रोफेसर, शासकीय महाविद्यालय शाडोरा, अशोकनगर

शोध सार

भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। इन समुदायों की महिलाओं को जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ता है। भारतीय संविधान ने इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिनमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 39, 46 और 243क शामिल हैं। यह शोध पत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का विश्लेषण करता है और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए कानूनी प्रयासों की समीक्षा करता है। इसके अलावा, यह पत्र इन अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है।

बीज शब्द

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अधिकार, संवैधानिक अधिकार, भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता, कानूनी प्रावधान।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से चुनौतीपूर्ण रही है। ये समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, और इनकी महिलाओं को दोहरी भेदभाव का सामना करना पड़ा हैकृएक तो जातिगत भेदभाव और दूसरा लैंगिक असमानता। भारतीय संविधान ने इन वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कई प्रावधान किए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता और भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जिससे अनुसूचित जाति की महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार मिलता है। वहीं, अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संसद और विधानसभाओं में इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

इसके बावजूद, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं आज भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इन महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का विश्लेषण करना और यह समझना है कि कितनी प्रभावी रूप से उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही, उन बाधाओं और संभावित सुधारों की भी समीक्षा की जाएगी जो इन महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक हो सकते हैं।

भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। हालाँकि, इस विविधता के बावजूद, भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता की गहरी जड़ें हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सदियों से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता रहा है। इन समुदायों की महिलाएँ विशेष रूप से वंचित हैं, क्योंकि उन्हें जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता का दोहरा बोझ झेलना पड़ता है।[1]

भारतीय संविधान ने इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 39 और 46 सामाजिक न्याय और आर्थिक अधिकारों से संबंधित हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 243क में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।[2]

यह शोध पत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का विश्लेषण करता है और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए कानूनी प्रयासों की समीक्षा करता है। इसके अलावा, यह पत्र इन अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है।

संवैधानिक अधिकार

भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य इन समुदायों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है।[3]

समानता का अधिकार – संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है।

स्वतंत्रता का अधिकार – संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 बोलने, सभा करने, संघ बनाने, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण प्रदान करता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार – संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है।[4]

सामाजिक न्याय और आर्थिक अधिकार – संविधान के अनुच्छेद 39 और 46 सामाजिक न्याय और आर्थिक अधिकारों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 39 राज्य को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है।[5]

राजनीतिक अधिकार – संविधान के अनुच्छेद 243क में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इस प्रावधान का उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

कानूनी प्रावधान

भारतीय संविधान के अलावा, कई कानूनी प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं–

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 – यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने और

उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है।[6]

महिला अधिकारिता कानून – भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, और यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (कार्यस्थल) अधिनियम, 2013 ये कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी संरक्षण प्रदान करते हैं।[7]

शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 – यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों, को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005) – यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।[8]

चुनौतियाँ और समाधान

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों में सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विपन्नता, शिक्षा की कमी, और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता की कमी शामिल हैं।[9]

सामाजिक भेदभाव – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस भेदभाव के कारण, उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए, सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए और जातिगत भेदभाव के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए जाने चाहिए।

आर्थिक विपन्नता – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ आर्थिक रूप से विपन्न हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, सरकार को इन समुदायों की महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम चलाने चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए।

शिक्षा की कमी – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम है। इस समस्या के समाधान के लिए, सरकार को इन समुदायों की लड़कियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाने चाहिए और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।[10]

कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता की कमी – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी है। इस समस्या के समाधान के लिए, सरकार को इन समुदायों की महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

निष्कर्ष

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान और कानूनी प्रावधानों ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालाँकि, इन अधिकारों के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विपन्नता, शिक्षा की कमी और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता की कमी शामिल हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए, सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। सामाजिक जागरूकता अभियान, आर्थिक सहायता कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम और जागरूकता अभियान इन समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अंबेडकर, बी.आर. (1949), जाति का विनाश, सामाजिक प्रकाशन, मुंबई, 45–60
2. दुबे, एस.एन. (2001), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति : समस्याएँ और समाधान, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 112–130
3. अग्रवाल, किरण (2015), महिला अधिकार और भारतीय संविधान, साहित्य अकादमी, दिल्ली, 75–90
4. गुप्ता, एस.पी. (2010), भारत में सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रावधान, जनहित प्रकाशन, लखनऊ, 200–215
5. शर्मा, आर.के. (2018), अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की स्थिति : एक अध्ययन, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, खंड 79, अंक 2, 150–165
6. मिश्र, पी.के. (2005), भारत में जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 40, अंक 12, 1205–1212
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (2019), एनसीएससी, नई दिल्ली
8. यूनेस्को (2017), यूनेस्को प्रकाशन, पेरिस, 60–75
9. भारत सरकार (2020), महिला सशक्तिकरण : नीतियाँ और कार्यक्रम, महिला और बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 10–25
10. वर्मा, एम.एल. (2012), भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय, विधि प्रकाशन, इलाहाबाद, 180–195